संख्या- 10 / 2017 / 598 / चालीस-2017-बजट(2) / 17

प्रेषक,

सत्येन्द्र सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2017

विषय: प्रदेश में नवम्बर माह, 2017 के तृतीय सप्ताह में मनाये जाने वाले ''कौमी एकता सप्ताह'' के आयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह के तृतीय सप्ताह में ''कौमी एकता सप्ताह'' का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी ''कौमी एकता सप्ताह'' का आयोजन प्रस्तावित है। अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ''कौमी एकता सप्ताह'' के आयोजनार्थ जिला स्तर के कार्यक्रमों में व्यय हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 5,000/- (रूपये पाचें हजार मात्र) की दर से अर्थात कुल रू0 3,75,000/- (रूपये तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने/व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। ''कौमी एकता सप्ताह'' के आयोजन से सम्बन्धित कार्यक्रम की रूपरेखा कृपया बना लें तथा यथासमय तिथिवार कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश से आपको शासन द्वारा अवगत कराया जायेगा।

2- आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये तथा प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही, व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-12-2017 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 31-01-2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-07- कौमी एकता सप्ताह के आयोजन पर व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सत्येन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-10/2017/598(1)/चालीस-2017-बजट(2)/17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in